07.07.2024 को पेश ...

SDO

07.07.2024 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। जवाब प्रा. पत्र पेश किया गया। शामिल पत्रावली होवे। बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की आराजी है। प्रथमदृष्टया मामला सुविधा एवं संतुलन की दृष्टि से प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किये जाते है कि मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि मौजा खीरखांईयां में स्थित ख: सं. 608/302 रकबा 5.07 बीघा भूमि में अतिक्रमण, निर्माण कार्य न करें। वादग्रस्त भूमि विक्रय या बख्शीस न करें। प्रार्थी को काश्त करने में रुकावट पैदा न करें न ही अन्य किसी से करावें। मौके व रिकॉर्ड की स्थिति ता फैसला बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner